पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 01/2024

OPERATING SAFETY ALERT NO. 01/2024

विषय :- सोनपुर मंडल के गोरौल एवं कुढ़नी के बीच स्थित समपार फाटक सं 22/C को खुली अवस्था में गाड़ी सं. 15550 का पार कर जाना ।

दिनांक 15.12.2023 को कार्यरत स्टेशन मास्टर, गोरौल के द्वारा गैर-अंतर्पाशित इंजीनियरिंग समपार फाटक सं. 22/C को गाड़ी संख्या 13225 अप एवं गाड़ी संख्या 15550 डाउन के लिए बंद कराया गया । गाड़ी संख्या 13225 अप समपार से पास करने के बाद गेट पर काफी भीड़ होने के कारण कार्यरत गेटमैन ने स्टेशन मास्टर से टेलीफोन के माध्यम से गेट को खोलने की अनुमति माँगी । कार्यरत स्टेशन मास्टर के द्वारा गेट को खोलने की अनुमति मौखिक रूप से दी गई , परन्तु गेटमैन एवं स्टेशन मास्टर के बीच प्राइवेट नं. का आदान-प्रदान नहीं किया गया ।गेटमैन के द्वारा बेनर फ्लैग लगाकर समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया । इसी बीच भगवानपुर स्टेशन से गाड़ी संख्या 15550 डाउन खुलने के बाद भी गेटमैन को गाड़ी के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई, जैसा कि ऑडियो क्लिप के अनुसार मौखिक वार्ता के समय आश्वासन दिया गया था । स्टेशन मास्टर गोरौल द्वारा समपार फाटक सं 22/C को पुनः बंद होना सुनिश्चित किये बिना ही गाड़ी संख्या 15550 को थ्रू कर दिया गया, जिसके कारण उक्त गाड़ी समपार फाटक को खुली अवस्था में पार करके खड़ी हो गई और बैनर फ्लैग का लोको पायलट दवारा उल्लंघन किया गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. गेट को एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किये जाने पर गेटमैन दवारा किसी भी हालत में नहीं खोला जाना चाहिए, जब तक कि इसके लिए स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नं के आदान-प्रदान के तहत अधिकृत न किया जाय ।
2. स्टेशन मास्टर को ब्लाक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश की अनुमति से पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गैर-अंतर्पाशित समपार फाटक बंद कर दिए गये हैं ।
3. बैनर फ्लैग/लाल बत्ती को प्रत्येक बार गेट खोलने के समय गेट से 5 मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में लगाया जाना चाहिए ।
4. बैनर फ्लैग यदि लगा हो तो लोको पायलट के दवारा उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए तथा गाड़ी को जहाँ तक संभव हो, बैनर फ्लैग के पहले रोकने की चेष्टा करनी चाहिए ।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबधित समस्त कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क करने कि लिए ऑडियो क्लिप के साथ काउंसलिंग करें ताकि उन्हें संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके । ऑडियो क्लिप सभी सभी मंडल के व.मं परि.प्र. को भेजा जा रहा है ।

16.1.24

(बी. के. दास)
मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505 दिनांक 16.01.2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे , हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूमरे , हाजीपुर को सादर सूचनार्थ हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।
5. प्राचार्य - क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु ।

Scanned with OKEN Scanner